

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 434]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 2 अगस्त 2018—श्रावण 11, शक 1940

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 अगस्त 2018

क्रमांक एफ ए 3-20/2013/1/पांच (70) मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 20-क की उप धारा (2) के साथ पठित उप धारा (एक-ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, रजिस्ट्रीकृत व्यापारियों के उन निम्नलिखित दो वर्गों क्रमशः (क) तथा (ख) को अधिसूचित करती है, जिनके वर्ष 2016-2017 के कर निर्धारण के मामले मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) तथा मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) के अधीन लंबित है तथा यह निदेश देती है कि वेट अधिनियम की धारा 20 की उप धारा (1) के प्रयोजन के लिए उनका कर निर्धारण निम्नलिखित स्कीम में वर्णित अपेक्षाओं, प्रतिबंधों और शर्तों के अध्ययधीन रहते हुए, कर दिया गया समझा जाएगा, अर्थात्:-

1. रजिस्ट्रीकृत व्यापारियों के वर्ग :-

(क) वर्ष 2016-17 के दौरान 50 करोड. रुपये तक वार्षिक टर्न ओवर वाले रजिस्ट्रीकृत व्यापारी, परन्तु इनमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं हैं :-

- (1) ऐसी औद्योगिक इकाईयां जो मध्यप्रदेश सरकार द्वारा जारी किसी अधिसूचना के अधीन छूट/कर के संदाय के आस्थगन/निवेश संवर्धन सहायता की सुविधा प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।
- (2) ऐसे व्यापारी जिनके मामलों में वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए कर अपवंचन का पता लगा हो।

5. आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज :-

- (1) प्रत्येक आवेदन पर रु.5/- का एक न्यायालय फीस स्टाम्प चिपकाया जाएगा।
- (2) संबंधित वर्ष के लिए संदत्त किए गए कर तथा ब्याज की राशि के, यदि कोई हो भुगतान के सबूत के रूप में चालान की प्रति।
- (3) वेट अधिनियम के अधीन आवेदन के साथ संबंधित कर निर्धारण वर्ष में किए गए क्रय विक्रय की सूची मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 के नियम 21 के उपनियम (2) वं अनुसार प्रस्तुत की जाएगी। यदि पूर्व में सूची प्रस्तुत की जा चुकी है तो इस कं पुनः अपेक्षा नहीं होगी।
- (4) प्रत्येक व्यापारी जिसका वर्ष 2016-17 में टर्न ओवर एक करोड़ से अधिक है, वह चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा वेट अधिनियम की धारा 39 की उप धारा (2) के अनुसार तैयार की गई आडिट रिपोर्ट, यदि पहले ही प्रस्तुत नहीं की गई हो, प्रस्तुत करेगा व्यवसाई जिनका टर्न ओवर 10 करोड़ से अधिक का है, उन्हें मध्यप्रदेश वेट नियम 2006 के नियम 54 के उपनियम (1) के अधीन ऑडिट रिपोर्ट प्ररूप-41-ए में प्रस्तुत करना होगी।
- (5) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अधीन (प्ररूप-सी/एफ/ई-1/ई-2/एच/आई, कर में छूट तथा कर की रियायती दर के लिए विहित घोषणा पत्र उनकी सूची के साथ संलग्न किए जाएंगे।

6. उन व्यापारियों के लिए जिन्होंने आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है :-

किसी ऐसे व्यापारी के संबंध में, जिसने इस अधिसूचना के अधीन कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है तथा विभागीय अभिलेख में, संबंधित कालावधि के दौरान किए गए क्रयों या विक्रयों की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है या किसी विभागीय अधिकारी द्वारा इस आशय की समाधानप्रद फील्ड रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है कि संबंधित कालावधि के दौरान उसके द्वारा कोई क्रय अथवा विक्रय नहीं किया गया है, तो ऐसे व्यापारी का कर निर्धारण कर दिया गया समझा जाएगा।

7. आवेदन का चयन:- आयुक्त, व्यापारी से प्राप्त आवेदनों में से, ऐसे मानदण्ड विनिर्दिष्ट करते हुए, जैसा कि वह उचित समझे, चयन करेगा और तत्पश्चात् संबंधित अधिनियमों तथा नियमों के उपबंधों के अनुसार चयनित प्रकरणों का कर निर्धारण किया जाएगा।

8. अपनायी जाने वाले प्रक्रिया, जिसके अधीन कर निर्धारण किया गया समझा जाएगा :-

- (1) यदि सक्षम अधिकारी, जिसके समक्ष कोई आवेदन प्रस्तुत किया गया है, उसे अपूर्ण पाता है अथवा गणना के संबंध में कोई त्रुटि पाई जाती है, तो वह आवेदक को सुनवाई का एक अवसर प्रदान करेगा।
- (2) यदि यथापूर्वोक्त कोई त्रुटि पाई जाती है, तो उसके कारणों को अभिलिखित करते हुए कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जाएगा और सुनवाई की तारीख नियत की जाएगी तथा आवेदक को संसूचित की जाएगी।
- (3) आवेदक, त्रुटियों को यदि कोई हो, दूर करेगा और दस्तावेज प्रस्तुत करेगा। त्रुटियों को सुधार के पश्चात् सक्षम अधिकारी आवेदन स्वीकार करेगा और उसका कर निर्धारण किया गया समझा जाएगा।
- (4) यदि व्यापारी सुनवाई हेतु नियत तारीख को अनुपस्थित रहता है या त्रुटि नहीं सुधारी जाती है तो आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा और उसकी सूचना व्यापारी को भेजी जाएगी।
- (5) आवेदन को स्वीकार किए जाने की सूचना आवेदन की तारीख से 30 दिन के भीतर भेजी जाएगी। उपरोक्त वर्णित अवधि के भीतर व्यापारी को संसूचना नहीं दिए जाने की दशा में, यह उपधारणा की जाएगी कि उसका आवेदन स्वीकार कर लिया गया है।
- (6) आयुक्त, वाणिज्यिक कर द्वारा स्कीम के क्रियान्वयन के लिए समुचित अनुदेश जारी किए जा सकेंगे।

- (3) ऐसे व्यापारी जिनके मामलों में वेट अधिनियम की धारा 18 की उप धारा (5) के खण्ड (ख) के अधीन कर की अतिरिक्त राशि के लिए सूचना जारी कर दी गई हो तथा इस अपेक्षा का पालन आवेदन प्रस्तुत करने के पूर्व नहीं किया गया हो।
- (4) ऐसे व्यापारी जिनके मामलों में कर संपरीक्षा के पश्चात् धारा 19 की उप धारा (6) के अधीन सूचना जारी कर दी गई हो तथा आवेदन प्रस्तुत करने के पूर्व इस अपेक्षा का पालन नहीं किया गया हो।
- (5) ऐसे मामलों में जहां वेट अधिनियम, 2002 या केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) या मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) के अधीन उसे किसी प्रकार की वापसी शोध्य हो।

(ख) रजिस्ट्रीकृत व्यापारियों के वर्ग:- वर्ष 2016-17 के दौरान 50 करोड. रुपए से अधिक के वार्षिक टर्न ओवर वाले रजिस्ट्रीकृत व्यापारी, किन्तु जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं हैं :-

- (1) ऐसे व्यवसायी जिनके बिगत लगातार तीन वर्षों के कर निर्धारण आदेशों में कर की अतिरिक्त मांग निर्मित हुई हो।
- (2) ऐसी औद्योगिक इकाईयां जो मध्यप्रदेश सरकार द्वारा जारी किसी अधिसूचना के अधीन छूट/कर के संदाय के आस्थगन/निवेश संवर्धन सहायता की सुविधा प्राप्त करने के लिए पात्र हों।
- (3) ऐसे व्यापारी जिनके मामलों में वर्ष 2016-17 के लिए कर अपवंचन का पता लगा हो।
- (4) ऐसे व्यापारी जिनके मामलों में वेट अधिनियम की धारा 18 की उप धारा (5) के खण्ड (ख) के अधीन कर की अतिरिक्त राशि के लिए सूचना जारी कर दी गई हो तथा इस अपेक्षा का पालन आवेदन प्रस्तुत करने के पूर्व नहीं किया गया हो।
- (5) ऐसे व्यापारी जिनके मामलों में कर संपरीक्षा के पश्चात् धारा 19 की उप धारा (6) के अधीन सूचना जारी कर दी गई हो तथा आवेदन प्रस्तुत करने के पूर्व इस अपेक्षा का पालन नहीं किया गया हो।
- (6) ऐसे मामले में जहां वेट अधिनियम, 2002 या केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) या मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) के अधीन उसे किसी प्रकार की वापसी शोध्य हो।

2. **अधिनियम तथा कर निर्धारण वर्ष:** मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) तथा मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) के अधीन वर्ष 2016-2017 के कर निर्धारण के लंबित मामले।
3. **आवेदन पत्र:-** मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) तथा मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) के अधीन उपरोक्त 1(क) के अधीन पात्र व्यापारियों द्वारा इस अधिसूचना के संलग्न प्ररूप क, ख अथवा ग में तथा उपरोक्त 1(ख) के अधीन पात्र व्यापारियों द्वारा इस अधिसूचना के संलग्न प्ररूप घ, ङ. अथवा च में पृथक् से आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।
4. **आवेदन प्रस्तुत करने की समय-सीमा तथा सक्षम अधिकारी:-**पात्र व्यापारियों द्वारा, इस अधिसूचना से संलग्न प्ररूप जो भी उसे लागू हो, आवेदन इस स्कीम (योजना) के प्रकाशन से 60 दिन के भीतर, उस समुचित निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जिसके समक्ष वित्तीय वर्ष 2016-17 का निर्धारण प्रकरण लंबित हो।

प्ररूप-क

(रूपए 50 करोड़ तक के वार्षिक टर्नओवर वाले व्यापारियों के लिए)
मध्यप्रदेश वेट अधिनियम के अधीन वर्ष 2016-17 की अवधि के लिए कर निर्धारण प्रकरण में
अधिसूचना क्रमांक दिनांकके अधीन 1(क) में आवेदन

प्रति,

कर निर्धारण प्राधिकारी (अधिकारी)

.....
.....

1.	व्यापारी का नाम एवं पता	
2.	(टिन) करदाता का पहचान क्रमांक	
3.	क्या धारा 18 की उपधारा (5) या धारा 19 की उपधारा (6) के अधीन 2016-17 के संबंध में किसी अवधि के लिए नोटिस जारी किया गया था यदि 'हां' तो नोटिस की प्रति संलग्न करें।	हां/ नहीं
4.	ऐसे नोटिस के अनुपालन का विवरण तथा तारीख	
5.	सकल टर्नओवर	
6.	कटौतियां	
	(क) पृथक् से प्रभारित भाड़ा या परिदान या संस्थापन व्यय की राशि	
	(ख) नगद छूट की राशि	
	(ग) छह माह के भीतर विक्रय वापसी की राशि	
	(घ) कर मुक्त घोषित किए गए माल की विक्रय राशि	
	(ङ) प्रदेश के बाहर विक्रय/ब्रांच ट्रांसफर की सूची राशि के साथ एफ फार्म संलग्न करें	
	(च) अंतर्राज्यीय विक्रय राशि	
	(छ) भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में विक्रय	
	(ज) अन्य कटौतियां (विशिष्टियां एवं साक्ष्य दें)	
	कुल कटौतियां (क से ज तक)	
7.	कर योग्य (टर्नओवर) (5-6)	
8.	कर योग्य कुल राशि (टर्नओवर) की दर के अनुसार वर्गीकरण	
	कर की दर	कुल विक्रय
	देय कर	
	31 प्रतिशत	
	27 प्रतिशत	
	25 प्रतिशत	
	20 प्रतिशत	
	16 प्रतिशत	
	15 प्रतिशत	
	14 प्रतिशत	

	5 प्रतिशत		
	4 प्रतिशत		
	1 प्रतिशत		
	अन्य दर, यदि कोई हो		
	कुल योग		
9.	क्रय कर		
	दर	कर योग्य क्रय मूल्य	देय क्रय कर
	31 प्रतिशत		
	27 प्रतिशत		
	25 प्रतिशत		
	20 प्रतिशत		
	16 प्रतिशत		
	15 प्रतिशत		
	14 प्रतिशत		
	5 प्रतिशत		
	4 प्रतिशत		
	1 प्रतिशत		
	कर की अन्य दर		
	कुल योग		
10.	आगत कर में छूट का अभिशून्य		
	दर	टर्नओवर	अभिशून्य किया गया आगत कर
	31 प्रतिशत		
	27 प्रतिशत		
	25 प्रतिशत		
	20 प्रतिशत		
	16 प्रतिशत		
	15 प्रतिशत		
	14 प्रतिशत		
	5 प्रतिशत		
	4 प्रतिशत		
	1 प्रतिशत		
	कर की अन्य दर		
	योग		
11.	सकल योग (8+9+10)		
12.	आगत कर में छूट की गणना		
	दर	कुल राशि (टर्नओवर)	आगत कर
	31 प्रतिशत		
	27 प्रतिशत		
	25 प्रतिशत		
	20 प्रतिशत		
	16 प्रतिशत		
	15 प्रतिशत		
	14 प्रतिशत		
	5 प्रतिशत		
	4 प्रतिशत		

	1 प्रतिशत		
	कर की अन्य दर		
	कुल योग		
13.	वर्ष 2015-16 के कर निर्धारण प्रकरण में कर निर्धारक अधिकारी द्वारा अग्रणीत आगत कर छूट की राशि		
14.	वेट के विरुद्ध समायोजित आगत कर छूट की राशि		
15.	केन्द्रीय विक्रय कर के विरुद्ध समायोजित आगत कर छूट की राशि		
16.	अन्य रजिस्ट्रीकृत व्यापारी को अंतरित आगत कर छूट की राशि		
17.	वर्ष 2017-18 के लिए अग्रणीत आगत कर छूट की राशि		
18.	शेष देय राशि (11-14)		
19.	धारा 18 (4) (क) के अनुसार ब्याज की राशि (यदि देय हो)		
20.	धारा 18 (4) (ख) के अनुसार शास्ति की राशि (यदि देय हो)		
21.	देय कर ब्याज एवं शास्ति की कुल राशि (18+19+20)		
22.	चालान द्वारा जमा राशि (यदि पूर्व में जमा की गई हो)		
23.	टी.डी.एस. प्रमाण पत्रों की राशि (टी.डी.एस.प्रमाण पत्र संलग्न करें)		
24.	वापसी समायोजित आदेश की राशि (आर. ए. ओ. क्रमांक)		
25.	जमा की गई कुल राशि का योग (22+23+24)		
26.	शेष अतिरिक्त मांग (21-25)		
27.	वापसी की राशि, यदि कोई हो		
28.	अग्रणीत की गई आगत कर की छूट के कारण वापसी की राशि		
29.	कॉलम 13 राशि एवं कॉलम 28 में दर्शाई गई राशि में अंतर का कारण विनिर्दिष्ट करें		
30.	आवेदन के समय जमा की गई राशि (चालान नम्बर एवं दिनांक)		

मैं का प्रोपराइटर/भागीदार/डायरेक्टर.....

एतद्वारा सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त तथ्य मेरे ज्ञान और विश्वास से सत्य है।

स्थान:

हस्ताक्षर :

दिनांक:

फर्म का नाम :

प्ररूप-ख

(रूप 50 करोड़ तक के वार्षिक टर्नओवर वाले व्यापारियों के लिए)
केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अधीन वर्ष 2016-17 की अवधि के लिए कर निर्धारण प्रकरण में
अधिसूचना क्रमांक दिनांकके अधीन 1(क) में आवेदन
प्रति,

कर निर्धारण प्राधिकारी, (अधिकारी)

1.	व्यापारी का नाम एवं पता	
2.	(टिन) करदाता का पहचान क्रमांक	
3.	क्या धारा 18 की उप धारा (5) या धारा 19 की उप धारा (6) के अधीन 2016-17 के संबंध में किसी कालावधि के लिए नोटिस जारी किया गया था यदि "हां" तो नोटिस की प्रति संलग्न करें।	हां/ नहीं
4.	ऐसे नोटिस के अनुपालन का विवरण तथा दिनांक	
5.	सकल अन्तर्राज्यीय विक्रय	
6.	कटौतियां	
	क पूर्णतः कर मुक्त माल का विक्रय मूल्य	
	ख पश्चात्तवर्ती विक्रय सूची के साथ (प्ररूप सी तथा/ई-1/ई-2, संलग्न करें)	
	ग अन्य कटौतियां (उसके ब्यारे एवं साक्ष्य दें)	
	कुल कटौतियां:	
7.	कर योग्य विक्रय (5-6)	
8.	कर योग्य विक्रय का दर अनुसार विभाजन	
	विवरण	विक्रय टर्न ओवर
	कर की दर	कर की राशि
1.	"सी" फार्म घोषणा पत्रों के विरुद्ध विक्रय (सूची अनुसार)	
2.	बिना "सी" फार्म घोषणा पत्रों के विक्रय	
3.		
4.		
9.	कुल देयकर	
10.	वेट अधिनियम की धारा 18 की उप धारा (4) के खण्ड (क) के अनुसार ब्याज की राशि (यदि देय हो)	
11.	वेट अधिनियम की धारा 18की उप धारा (4) के खण्ड (ख) के अनुसार शास्ति की राशि (यदि देय हो)	
12.	कुल देय कर, उस पर ब्याज एवं शास्ति (9+10+11)	
13.	वेट अधिनियम से केन्द्रीय विक्रय कर के विरुद्ध समायोजित आगत कर छूट की राशि	
14.	चालान द्वारा जमा की गई राशि (यदि पूर्व में जमा की गई हो)	
15.	वापसी समायोजित आदेश राशि (आर. ए. ओ. क्रमांक)	
16.	योग (13+14+15)	
17.	शेष अतिरिक्त मांग (12-16)	
18.	वापसी की राशि (यदि कोई हो)	
19.	आवेदन के समय जमा की गई राशि (चालान नम्बर एवं दिनांक विनिर्दिष्ट करें)	

मैं प्रोपराइटर/भागीदार/जायरेक्टर.....
एतद्वारा सत्यापित करता हूं कि उपरोक्त तथ्य मेरे ज्ञान और विश्वास से सत्य है।

स्थान : हस्ताक्षर :

दिनांक : फर्म का नाम.....

प्ररूप-ग

(रूप 50 करोड़ तक के वार्षिक टर्नओवर वाले व्यापारियों के लिए)
 प्रवेश कर अधिनियम के अधीन वित्तीय वर्ष 2016-17 के कर निर्धारण के प्रकरण हेतु
 अधिसूचना क्रमांक दिनांकके अधीन 1(क) में आवेदन
 प्रति,
 कर निर्धारण प्राधिकारी (अधिकारी)

1.	व्यापारी का नाम एवं पता	
2.	(टिन) करदाता का पहचान क्रमांक	
3.	क्या धारा 18 की उप धारा (5) या धारा 19 की उप धारा (6) के अधीन 2016-17 के संबंध में किसी कालावधि के लिए नोटिस जारी किया गया था। यदि "हां" तो नोटिस की प्रति संलग्न करें।	हां/ नहीं
4.	ऐसे नोटिस के अनुपालन की तारीख तथा विवरण	
5.	सकल क्रय राशि	
6.	कटौतियां:-	
	(1) धारा 10 के अधीन प्रवेश कर से छूट प्राप्त माल का क्रय मूल्य	
	(2) स्थानीय माल का क्रय मूल्य	
	(3) स्थानीय माल को छोड़कर अन्य रजिस्ट्रीकृत व्यापारियों से क्रय किए गए माल का क्रय मूल्य	
	(4) अन्तर्राज्यीय विक्रय में गए माल का क्रय मूल्य	
	(5) प्रदेश बाहर विक्रय/ट्रान्सफर में गए माल का क्रय मूल्य	
	(6) निर्यात के अनुक्रम में गए माल का क्रय मूल्य	
	(7) पुनः विक्रय हेतु अनुसूची-तीन के माल का क्रय मूल्य	
	(8) अन्य कटौतियां (उसके ब्यौरे एवं साक्ष्य दें)	
	(9) कुल कटौतियां	
7.	कर योग्य क्रय मूल्य (5-6)	
8.	कर योग्य क्रय पर कर की गणना	
	दर	कर योग्य क्रय
	देय कर	
1	1 प्रतिशत	
2	2 प्रतिशत	
	3 प्रतिशत	
	10 प्रतिशत	

	12.5 प्रतिशत		
	25 प्रतिशत		
3	अन्य दर		
9.	कुल प्रवेश कर देय		
10.	वेट अधिनियम की धारा 18 की उप धारा (4) के खण्ड (क) के अनुसार ब्याज (यदि देय हो)		
11.	वेट अधिनियम की धारा 18 की उप धारा (4) के खण्ड (ख) के अनुसार शास्ति की राशि (यदि देय हो)		
12.	योग (9+10+11)		
13.	मुजराई (यदि कोई हो)		
14.	वापसी समायोजन की राशि (आर. ए. ओ. क्रमांक.)		
15.	योग (13+14)		
16.	शेष देय मांग (12-15)		
17.	चालान द्वारा जमा की गई राशि (यदि पूर्व में जमा की गई हो)		
18.	शेष अतिरिक्त मांग (16-17)		
19.	वापसी की राशि यदि कोई हो		
20.	आवेदन के समय जमा की गई राशि (चालान नम्बर एवं दिनांक विनिर्दिष्ट करें)		

मैं प्रोपराइटर/भागीदार/डायरेक्टर.....

एतद्वारा सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त तथ्य मेरे ज्ञान और विश्वास से सत्य हैं।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर :

फर्म का नाम :

प्ररूप-घ

(रूपए 50 करोड़ से अधिक वार्षिक टर्नओवर वाले व्यापारियों के लिए)
मध्यप्रदेश वेट अधिनियम के अधीन वर्ष 2016-17 के कर निर्धारण के प्रकरण हेतु
अधिसूचना क्रमांक दिनांकके अधीन 1(ख) में आवेदन

प्रति,

कर निर्धारण प्राधिकारी (अधिकारी)

.....
.....

1.	व्यापारी का नाम एवं पता							
2.	(टिन) करदाता का पहचान क्रमांक							
3.	गत 3 कर निर्धारण वर्षों (2013-14, 2014-15 तथा 2015-16) के अतिरिक्त मांग के ब्यौरे	अनुक्रमांक	वर्ष	प्रकरण क्रमांक	आदेश की तारीख	अतिरिक्त कर की मांग	ब्याज एवं शास्ति की मांग	कर निर्धारण मामले में कुल मांग
			2013-14					
			2014-15					
			2015-16					
4.	क्या धारा 18 की उप धारा (5) या धारा 19 की उप धारा (6) के अधीन 2016-17 के संबंध में किसी कालावधि के लिए नोटिस जारी किया गया था यदि "हां" तो नोटिस की प्रति संलग्न करें।	हां/ नहीं						
5.	ऐसे नोटिस के अनुपालन का विवरण तथा दिनांक							
6.	सकल टर्नओवर							
7.	कटौतियां							
	(क) पृथक् से प्रभारित भाड़ा या परिदान या संस्थापन की कीमत							
	(ख) नगद छूट की राशि							
	(ग) छह माह के भीतर विक्रय वापसी की राशि							
	(घ) कर मुक्त घोषित किए गए माल की विक्रय राशि							
	(ङ) प्रदेश के बाहर विक्रय/ब्रांच							

		ट्रांसफर की राशि (सूची के साथ एफ फार्म संलग्न करें)	
	(च)	अंतर्राज्यीय विक्रय राशि	
	(छ)	भारत के राज्यक्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में विक्रय	
	(ज)	अन्य कटौतियां (विशिष्टियां एवं साक्ष्य दें)	
		कुल कटौतियां (क से ज तक)	
8.	कर योग्य टर्नओवर (6-7)		
9.	कर योग्य टर्नओवर की दर के अनुसार वर्गीकरण		
	कर की दर	कुल विक्रय	देय कर
	31 प्रतिशत		
	27 प्रतिशत		
	25 प्रतिशत		
	20 प्रतिशत		
	16 प्रतिशत		
	15 प्रतिशत		
	14 प्रतिशत		
	5 प्रतिशत		
	4 प्रतिशत		
	1 प्रतिशत		
	अन्य दर, यदि कोई हो		
	कुल		
10.	क्रय कर		
	दर	कर योग्य क्रय मूल्य	देय क्रय कर
	31 प्रतिशत		
	27 प्रतिशत		
	25 प्रतिशत		
	20 प्रतिशत		
	16 प्रतिशत		
	15 प्रतिशत		
	14 प्रतिशत		
	5 प्रतिशत		
	4 प्रतिशत		
	1 प्रतिशत		
	कर की अन्य दर		
	कुल		
11.	आगत कर में छूट का अभिशून्य		
	दर	टर्नओवर	अभिशून्य किया गया आगत कर
	31 प्रतिशत		
	27 प्रतिशत		
	25 प्रतिशत		
	20 प्रतिशत		
	16 प्रतिशत		
	15 प्रतिशत		
	14 प्रतिशत		

	5 प्रतिशत		
	4 प्रतिशत		
	1 प्रतिशत		
	कर की अन्य दर		
	कुल		
12.	सकल योग (9+10+11)		
13.	आगत कर में छूट की गणना		
	दर	टर्नओवर	आगत कर
	31 प्रतिशत		
	27 प्रतिशत		
	25 प्रतिशत		
	20 प्रतिशत		
	16 प्रतिशत		
	15 प्रतिशत		
	14 प्रतिशत		
	5 प्रतिशत		
	4 प्रतिशत		
	1 प्रतिशत		
	कर की अन्य दर		
	कुल		
14.	वर्ष 2015-16 के कर निर्धारण प्रकरण में कर निर्धारक अधिकारी द्वारा अग्रणीत आगत कर छूट की राशि		
15.	वेट के विरुद्ध समायोजित आगत कर छूट की राशि		
16.	केन्द्रीय विक्रय कर के विरुद्ध समायोजित आगत कर छूट की राशि		
17.	अन्य पंजीकृत व्यापारी को अंतरित आगत कर छूट की राशि		
18.	वर्ष 2017-18 के लिए अग्रणीत आगत कर छूट की राशि		
19.	शेष देय मांग (12-13)		
20.	धारा 18 (4) (क) के अनुसार ब्याज की राशि (यदि देय हो)		
21.	धारा 18 (4) (ख) के अनुसार शास्ति की राशि (यदि देय हो)		
22.	देय कर, ब्याज एवं शास्ति की कुल राशि (19+20+21)		
23.	चालानों द्वारा जमा राशि (यदि पूर्व में जमा की गई हो)		
24.	टी.डी.एस. प्रमाण पत्रों की राशि (टी.डी.एस.प्रमाण पत्र संलग्न करें)		
25.	वापसी समायोजित आदेश की राशि (आर. ए. ओ. क्रमांक)		
26.	जमा की गई कुल राशि (23+24+25)		
27.	शेष अतिरिक्त मांग (22-26)		
28.	वापसी की राशि, यदि कोई हो		
29.	अग्रणीत की गई आगत कर की छूट के कारण वापसी की राशि		
30.	कॉलम 13 एवं कॉलम 28 में दर्शाई गई राशि में अंतर का कारण विनिर्दिष्ट करें		
31.	आवेदन के समय जमा की गई राशि (चालान नम्बर एवं दिनांक)		

मैं का प्रोपराइटर/भागीदार/डायरेक्टर.....
एतद्वारा सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त तथ्य मेरे ज्ञान और विश्वास से सत्य हैं।

स्थान :

तारीख :

हस्ताक्षर

फर्म का नाम.....

.....

प्ररूप-ड.

(रूपए 50 करोड़ से अधिक वार्षिक टर्नओवर वाले व्यापारियों के लिए)
केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अधीन वर्ष 2016-17 की अवधि के लिए कर निर्धारण के प्रकरण हेतु अधिसूचना क्रमांक दिनांकके अधीन 1(ख) में आवेदन

प्रति,

कर निर्धारण प्राधिकारी (अधिकारी)

.....
.....

1.	व्यापारी का नाम एवं पता							
2.	(टिन) करदाता का पहचान क्रमांक							
3.	गत 3 वर्षों (2013-14 2014-15 तथा 2015-16) के कर निर्धारण आदेशों में निर्मित अतिरिक्त मांग का ब्यौरे	अनुक्रमांक	वर्ष	प्रकरण क्रमांक	आदेश दिनांक	कर की अतिरिक्त मांग	ब्याज एवं शास्ति की मांग	कर निर्धारण प्रकरण में कुल मांग
			2013-14					
			2014-15					
			2015-16					
4.	क्या धारा 18 की उप धारा (5) या धारा 19 की उप धारा (6) के अधीन 2016-17 के संबंध में किसी कालावधि के लिए नोटिस जारी किया गया था यदि "हां" तो नोटिस की प्रति संलग्न करें।	हां/नहीं						
5.	ऐसी नोटिस के अनुपालन का विवरण तथा दिनांक							
6.	सकल अन्तर्राज्यीय विक्रय							
7.	कटौतियां							
	क	पूर्णतः कर मुक्त माल का विक्रय मूल्य						
	ख	पश्चातवर्ती विक्रय (सूची के साथ प्ररूप सी और ई-1/ई-2, संलग्न करें)						
	ग	अन्य कटौतियां (उसके ब्यौरे एवं साक्ष्य दें)						
		कुल कटौतियां:						

8.	कर योग्य विक्रय (6-7)			
9.	कर योग्यविक्रय अनुसार वर्गीकरण			
	विवरण	विक्रय टर्न ओवर	कर की दर	कर की राशि
1.	"सी" फार्म घोषणा पत्रों पर विक्रय (सूची अनुसार)			
2.	बिना "सी" फार्म घोषणा पत्रों के विक्रय			
3.				
4.				
10.	कुल देयकर			
11.	वेट अधिनियम की धारा 18 की उप धारा (4) के खण्ड (क) के अनुसार ब्याज की राशि (यदि देय हो)			
12.	वेट अधिनियम की धारा 18की उप धारा (4) के खण्ड (ख) के अनुसार शास्ति की राशि (यदि देय हो)			
13.	कुल देय कर, उस पर ब्याज एवं शास्ति (10+11+12)			
14.	वेट अधिनियम से केन्द्रीय विक्रय कर के विरुद्ध समायोजित आगत कर छूट की राशि			
15.	चालान द्वारा जमा की गई राशि (यदि पूर्व में जमा की गई हो)			
16.	वापसी समायोजित राशि (आर. ए. ओ. क्रमांक)			
17.	योग (14+15+16)			
18.	शेष अतिरिक्त मांग (13-17)			
19.	वापसी की राशि (यदि कोई हो)			
20.	आवेदन के समय जमा की गई राशि (चालान नम्बर एवं दिनांक विनिर्दिष्ट करें)			

मैं प्रोपराइटर/भागीदार/जायरेक्टर.....
 एतद्द्वारा सत्यापित करता हूं कि उपरोक्त तथ्य मेरे ज्ञान और विश्वास से सत्य है।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर

फर्म का नाम.....

.....

प्ररूप-च

(रूपए 50 करोड़ से अधिक वार्षिक टर्नओवर वाले व्यापारियों के लिए)
 प्रवेश कर अधिनियम के अधीन वित्तीय वर्ष 2016-17 के कर निर्धारण के प्रकरण हेतु
 अधिसूचना क्रमांक दिनांकके अधीन 1(ख) में आवेदन

प्रति,

कर निर्धारण प्राधिकारी (अधिकारी)

.....

1.	व्यापारी का नाम एवं पता							
2.	(टिन) करदाता का पहचान क्रमांक							
3	गत 3 वर्षों (2013-14 2014-15 तथा 2015-16) के कर निर्धारण में अतिरिक्त मांग के ब्यौरे	अनुक्रमांक	वर्ष	प्रकरण क्रमांक	आदेश दिनांक	अतिरिक्त कर की मांग	ब्याज एवं शास्ति की मांग	कर निर्धारण प्रकरण में कुल मांग
			2013-14					
			2014-15					
			2015-16					
4.	क्या धारा 18 की उप धारा (5) या धारा 19 की उप धारा (6) के अधीन 2016-17 के संबंध में किसी कालावधि के लिए नोटिस जारी किया गया था यदि "हां" तो नोटिस की प्रति संलग्न करें।	हां/ नहीं						
5.	ऐसे नोटिस के अनुपालन का विवरण तथा दिनांक							
6.	सकल क्रय राशि							
7.	कटौतियां							
	(1)	धारा 10 के अधीन प्रवेश कर से छूट प्राप्त माल का क्रय मूल्य						
	(2)	स्थानीय माल का क्रय मूल्य						
	(3)	स्थानीय माल को छोड़कर अन्य रजिस्ट्रीकृत व्यापारियों से क्रय किए गए माल का क्रय मूल्य						
	(4)	अन्तर्राज्यीय विक्रय किए गए माल का क्रय मूल्य						
	(5)	प्रदेश के बाहर विक्रय/ट्रान्सफर में गए माल का क्रय मूल्य						
	(6)	निर्यात के अनुक्रम में गए माल का क्रय मूल्य						
	(7)	पुनः विक्रय हेतु अनुसूची-तीन के माल का क्रय मूल्य						
	(8)	अन्य कटौतियां (उसके ब्यौरे एवं साक्ष्य दें)						
	(9)	कुल कटौतियां						
8.	कर योग्य क्रय मूल्य (6-7)							

9. कर योग्य क्रय पर कर की गणना			
	दर	क्रय	देय कर
1	1 प्रतिशत		
2	2 प्रतिशत		
	3 प्रतिशत		
	10 प्रतिशत		
	12.5 प्रतिशत		
	25 प्रतिशत		
3	अन्य दर		
10.	कुल देय प्रवेश कर		
11.	वेट अधिनियम की धारा 18 की उप धारा (4) के खण्ड (क) के अनुसार ब्याज (यदि देय हो)		
12.	वेट अधिनियम की धारा 18 की उप धारा (4) के खण्ड (ख) के अनुसार शास्ति की राशि (यदि देय हो)		
13.	योग (10+11+12)		
14.	मुजराई (यदि कोई हो)		
15.	वापसी समायोजन की राशि (आर. ए. ओ. क्रमांक.)		
16.	योग (14+15)		
17.	शेष देय मांग (13-16)		
18.	चालान द्वारा जमा की गई राशि (यदि कोई राशि पूर्व में जमा की गई हो)		
19.	शेष अतिरिक्त मांग (17-18)		
20.	वापसी की राशि यदि कोई हो		
21.	आवेदन के समय जमा की गई राशि (चालान नम्बर एवं दिनांक विनिर्दिष्ट करें)		

मैं प्रोपराइटर/भागीदार/डायरेक्टर.....

एतद्वारा सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त तथ्य मेरे ज्ञान और विश्वास से सत्य है।

स्थान: हस्ताक्षर.....

दिनांक: फर्म का नाम.....

.....
.....

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण परमार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 2 अगस्त 2018

क्र. एफ-ए-3-20-2013-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ-ए-3-20-2013-1-पांच, दिनांक 2 अगस्त 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण परमार, उपसचिव.

Bhopal, the 2nd August 2018

No.FA3-20/2013/1/V(70): In exercise of the powers conferred by sub-section (I-B) read with sub-section (2) of Section 20-A of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No.20 of 2002), the State Government, hereby, notifies the following two classes (A) and (B) respectively of registered dealers whose assessments cases are pending under the Madhya Pradesh Vat Act, 2002, (No. 20 of 2002), Central Sales Tax Act, 1956 (Act No 74 of 1956) and the Madhya Pradesh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhinyam, 1976 (No 52 of 1976), for the year 2016-17 and directs that their assessments shall be deemed to have been made for the purpose of sub-section (1) of section 20 of the Vat Act, subject to the requirements, restrictions and conditions, mentioned in the following scheme, namely:-

1. (A) **The class of registered dealers:-** The registered dealers having annual turnover up to rupees 50 crore during the year 2016-17, but does not include the following:-

- (1) Such Industrial unit which are eligible to avail of the facility of exemption/deferment of payment of tax/ Investment Promotion Assistance under any notification issued by the Government of Madhya Pradesh.
- (2) The dealers in whose cases tax evasion has been detected for the year 2016-17
- (3) The dealers in whose cases notice has been issued for additional amount of tax under clause (b) of sub-section (5) of section 18 of the Vat Act and this requirement has not been complied with before submission of application.
- (4) The dealers in whose cases notice has been issued under sub-section (6) of section 19, after Tax Audit and this requirement has not been complied with before submission of application.
- (5) In case refund of any kind is due to him under Vat Act 2002 or Central Sales Tax Act, 1956 (No.74 of 1956) or the Madhya Pradesh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhinyam 1976 (No 52 of 1976)

(B) **The class of registered dealers:-**The registered dealers having annual turnover above Rs.50 crore during the year 2016-17, but does not include the following:-

- (1) Such dealers in whose assessment orders of last three continues years, additional demand of tax has been created.

- (2) Such Industrial unit which are eligible to avail of the facility of exemption/deferment of payment of tax/Investment Promotion Assistance under any notification issued by the Government of Madhya Pradesh.
 - (3) The dealers in whose cases tax evasion has been detected for the year 2016-17
 - (4) The dealers in whose cases notice has been issued for additional amount of tax under clause (b) of sub-section (5) of section 18 of the Vat Act and this requirement has not been complied with before submission of application.
 - (5) The dealers in whose cases notice has been issued under sub-section (6) of section 19, of the Vat Act after Tax Audit and this requirement has not been complied with before submission of application.
 - (6) In case refund of any kind is due to him under Vat Act 2002 or Central Sales Tax Act, 1956 (No 74 of 1956) or the Madhya Pradesh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhinyam 1976 (No 52 of 1976)
2. **Acts and the assessment year:** Pending assessment cases under the Madhya Pradesh Vat Act, 2002, Central Sales Tax Act, 1956 (No 74 of 1956) and the Madhya Pradesh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhinyam, 1976 (No 52 of 1956) for the year 2016-17.
 3. **Application:-** An application shall be submitted separately in Form-'A', 'B' or 'C' under 1(A) and in Form 'D', 'E' or 'F' under 1(B) appended to this notification under the Vat Act, 2002 Central Sales Tax Act 1956 (No. 74 of 1956) and Madhya Pradesh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhinyam, 1976.
 4. **Time limit for submission of the application and the competent officer:** An application shall be submitted by the eligible dealer within 60 days from the publication of scheme in the Form appended to this notification whichever applicable, to the appropriate assessing officer before whom the assessment case for the year 2016-17 is pending.
 5. **The documents to be enclosed with the application:-**
 - (1) On every application a court fee stamp of Rs.5/- shall be affixed.
 - (2) A copy of challan in proof of payment of amount of tax and interest if any, paid for relevant year.
 - (3) A list of sales and purchases for the assessment period shall be submitted with the application under Madhya Pradesh Vat Act as per Rule 21 (2) of Madhya Pradesh Vat Rule 2006. If the lists have already been submitted these will not be needed again.

- (4) Every dealer whose turnover during the financial year 2016-17 exceeds Rs.1 crore shall submit an audit report as per sub-section (2), of section 39, if not submitted already, prepared by the Chartered Accountant. However a dealer whose annual turnover exceeds Rs. 10 Crore shall submit such audit report in form 41-A as per Rule 54(1) of Madhya Pradesh Vat Rules, 2006.
 - (5) The declaration prescribed for exemption of tax and concessional rate of tax under the Central Sales Tax Act (Form-C/F/E-1/E-2/H/I) shall be enclosed along with their list.
6. **For the dealers who have not submitted application:-**
- In respect of a dealer who has not submitted any application under this notification, if no information is available relating to purchases or sales made during the relevant period in the departmental record or where a satisfactory field report has been filed by any departmental officer to the effect that no purchases or sales have been made in the relevant period, the assessment shall be deemed to have been made for such dealer.
7. **Selection of Application:** The Commissioner shall select applications out of received ones from dealers by specifying the criterion, as he may think fit, and thereupon assessment of such dealers shall be made in accordance with the provisions of the respective Acts and Rules.
8. **Procedure to be followed under which assessment shall be deemed to have been made:-**
- (1) If the competent officer, before whom an application is submitted, finds it incomplete or any mistake in respect of calculation is detected, he shall afford one opportunity of hearing to the applicant.
 - (2) If any defect as aforesaid is found, a show cause notice shall be issued after recording the reasons thereof and the date of hearing shall be fixed and communicated to the applicant.
 - (3) The applicant shall rectify the defect, if any, and file the documents. After the removal of defects the competent officer shall accept the application and thereupon assessment shall be deemed to have been made.
 - (4) If the dealer remains absent on the date fixed for hearing or the defect is not removed, the application shall be rejected and intimation thereof shall be sent to the dealer.
 - (5) The intimation for acceptance of the application shall be sent within 30 days from the date of application. In case communication within above mentioned period is not given to the dealer, it shall be presumed that his application has been accepted.
 - (6) Appropriate instructions for the implementation of the scheme may be issued by the Commissioner, Commercial Tax.

FORM-A

(For dealers with annual turnover up to rupees 50 crore)

Application under 1(A) of the Notification no. ----- dated -----
for the assessment case of year 2016-17 under Madhya Pradesh Vat Act, 2002

To,

The Assessing Authority, (Officer)

1.	Name and address of Dealer	
2.	(TIN) Taxpayers Identification No	
3.	Whether a notice under sub-section(5) of section 18 or sub-section (6) of section 19 was issued for any period in respect of 2016-17. If "Yes" then attach copy of notice.	Yes/No
4.	Description and date of compliance of such notice	
5.	Gross turnover	
6.	Deductions:-	
	(a) Cost of freight or delivery or installation separately charged.	
	(b) Amount of cash discount	
	(c) Amount of sales return within six months.	
	(d) Amount of sale of goods declared tax free.	
	(e) Sales outside the State/amount of branch transfer.(Attach F form along with list)	
	(f) Amount of Inter State sales	
	(g) Sales in the course of export out of the territory of India.	
	(h) Other deductions (give particulars and evidence)	
	Total deductions (a to h)	
7.	Taxable Turnover (5-6)	

8.	Rate wise classification of taxable turnover		
	Rate of tax	Total Sales	Tax payable
	31 percent		
	27 percent		
	25 percent		
	20 percent		
	16 percent		
	15 percent		
	14 percent		
	5 percent		
	4 percent		
	1 percent		
	other rate, if any,		
	Total		
9.	Purchase Tax		
	Rate	Taxable purchase price	Purchase tax payable
	31 percent		
	27 percent		
	25 percent		
	20 percent		
	16 percent		
	15 percent		
	14 percent		
	5 percent		
	4 percent		
	1 percent		
	other rate of tax		
	Total		
10.	Reversal of Input tax rebate		
	Rate	Turnover	Reversed Input tax
	31 percent		
	27 percent		

	25 percent		
	20 percent		
	16 percent		
	15 percent		
	14 percent		
	5 percent		
	4 percent		
	1 percent		
	other rate of tax		
	Total		
11.	Gross Total (8+9+10)		
12.	Calculation of input tax rebate		
	Rate	Turnover	Input tax
	31 percent		
	27 percent		
	25 percent		
	20 percent		
	16 percent		
	15 percent		
	14 percent		
	5 percent		
	4 percent		
	1 percent		
	other rate of tax		
	Total		
13.	Carry forwarded Input tax rebate amount by the Assessing Officer in the assessment case of year 2015-2016		
14.	Amount of Input tax rebate adjusted against VAT		
15.	Amount of Input tax rebate adjusted against Central Sales Tax		

16.	Amount of Input tax rebate transferred to other Registered Dealer	
17.	Amount of Input tax rebate carried over for the year 2017-2018	
18.	Remaining amount payable (11-14)	
19.	Amount of interest (if payable) according to section 18(4)(a)	
20.	Amount of penalty (if payable) according to section 18(4)(b)	
21.	Total amount of tax, interest and penalty payable (18+19+20)	
22.	Amount deposited by challan (if deposited previously)	
23.	Amount of TDS Certificates (Attach TDS Certificates)	
24.	Amount of refund adjustment order (RAO No.)	
25.	Total amount deposited (22+23+24)	
26.	Remaining additional demand (21-25)	
27.	Amount of refund, if any	
28.	Amount of refund due to brought forward Input tax rebate	
29.	Specify the reasons of difference as shown in the amounts of column 13 and column 28	
30.	Amount deposited at the time of application (Challan number and date)	

I,-----

Proprietor/Partner/Director of ----- hereby verify that the above facts are true to the best of my knowledge and belief.

Place:

Signature -----

Date:

Name of Firm -----

FORM-B

(For dealers with annual turnover up to rupees 50 crore)

Application under 1(A) of the Notification no. ----- dated -----
for the assessment case of year 2016-17 under Central Sales Tax Act.

To,

The Assessing Authority, (Officer)

1.	Dealer's name and address			
2.	TIN (Taxpayers Identification No)			
3.	Whether a notice under sub-section(5) of section 18 or sub-section (6) of section 19 was issued for any period in respect of 2016-17. If "Yes" then attach copy of notice.			Yes/No
4.	Description and date of compliance of such notice			
5.	Gross Inter State sales			
6.	Deductions			
	a	Sale price of wholly tax free goods		
	b	Subsequent sales (attached Form C and E-1/E-2 along with list)		
	c	Other deductions (give details and evidence thereof)		
		Total deductions:		
7.	Taxable sales (5-6)			
8.	Rate wise classification of taxable sales			
		Description	Sales turnover	Rates of tax
		Amount of tax		
	1	Sales against 'C' Form declarations (as per list)		
	2	Sales without 'C' Form declaration		
	3.			
	4.			

9.	Total tax payable	
10.	Amount of interest (If payable) as per clause (a) of sub-section (4) of section 18 of Vat Act.	
11.	Amount of penalty (If payable) as per clause (b) of sub-section (4) of section 18 of Vat Act.	
12.	Total Tax payable, interest thereon and penalty, (9+10+11)	
13.	Amount of Input tax rebate adjusted against the Central Sales Tax from Vat Act.	
14.	Amount deposited by challan (if deposited previously)	
15.	Amount of refund adjustment (RAO no.)	
16.	Total (13+14+15)	
17.	Remaining additional demand (12-16)	
18.	Amount of refund (if any)	
19.	Amount deposited at the time of application (specify challan: number and date)	

I, ----- Proprietor/Partner/Director of
----- hereby verify that the above facts are true to
the best of my knowledge and belief.

Place:

Signature -----

Date:

Name of Firm -----

FORM-C

(For dealers with annual turnover up to rupees 50 crore)

Application under 1(A) of the Notification no. ----- dated -----

for the assessment case of financial year 2016-17 under Entry Tax Act.

To,

The Assessing Officer,

1.	Name and address of Dealer	
2.	(TIN) Taxpayers Identification No	
3.	Whether a notice under sub-section (5) of section 18 or sub-section (6) of section 19 was issued for any period in respect of 2016-17. If "Yes" then attach copy of notice.	Yes/No
4.	Description and date of compliance of such notice	
5.	Gross purchase amount	
6.	Deductions:-	
(1)	Purchase price of goods exempted from entry tax under section 10.	
(2)	Purchase price of local goods.	
(3)	Purchase price of goods purchased from registered dealer, other than local goods.	
(4)	Purchase price of Inter State sales of goods	
(5)	Purchase price of sales/transfer of goods outside of the State	
(6)	Purchase price of goods in the course of export	
(7)	Purchase price of schedule III goods for resale	
(8)	Other deductions (Give details and evidence thereof)	
(9)	Total deductions	
7.	Taxable purchase price (5-6)	
8.	Calculation of tax on taxable purchase	
	Rate	Taxable purchase
	1	1 Percent
	2	2 Percent
		Tax Payable

		3 Percent		
		10 Percent		
		12.5 Percent		
		25 Percent		
	3	other rate		
9.	Total Entry Tax payable			
10.	Interest (If payable) as per clause (a) of sub-section (4) of section 18 of Vat Act.			
11.	Amount of penalty (If payable) as per clause (b) of sub-section (4) of section 18 of the Vat Act.			
12.	Total (9+10+11)			
13.	Set off (If any)			
14.	Amount of refund adjustment (RAO no.)			
15.	Total (13+14)			
16.	Remaining demand (12-15)			
17.	Amount deposited by challan (if deposited previously)			
18.	Remaining additional demand (16-17)			
19.	Refund amount, if any			
20.	Amount deposited at the time of application (specify challan number and date)			

I,-----
 Proprietor/Partner/Director of----- hereby
 verify that the above facts are true to the best of my knowledge and belief.

Place:

Signature -----

Date:

Name of Firm -----

FORM-D

(For dealers with annual turnover above rupees 50 crore)

Application under 1(B) the Notification no. ----- dated ----- for the
assessment case of year 2016-17 under Madhya Pradesh Vat Act, 2002

To,

The Assessing Authority, (Officer)

1.	Name and address of Dealer							
2.	(TIN) Tax payers Identification No							
3.	Detail of extra demand in last 3 assessment year (2013-14, 2014-15 and 2015-16)	S No.	Year	Case No	Date of order	Extra tax demand	Interest and penalty demand	total demand in assessment case
			2013-14					
			2014-15					
			2015-16					
4.	Whether a notice under sub-section(5) of section 18 or sub-section (6) of section 19 was issued for any period in respect of 2016-17. If "Yes" then attach copy of notice.							
		Yes/No						
5.	Description and date of compliance of such notice							
6.	Gross turnover							
7.	Deductions:-							
	(a)	Cost of freight or delivery or installation separately charged.						
	(b)	Amount of cash discount						
	(c)	Amount of sales return within six months.						
	(d)	Amount of sale of goods						

		declared tax free.	
	(e)	Sales outside the State/amount of branch transfer.(Attach F form along with list)	
	(f)	Amount of Inter State sales	
	(g)	Sales in the course of export out of the territory of India.	
	(h)	Other deductions (give particulars and evidence)	
		Total deductions (a to h)	
8.		Taxable Turnover (6-7)	
9.	Rate wise classification of taxable turnover		
	Rate of tax	Total Sales	Tax payable
	31 percent		
	27 percent		
	25 percent		
	20 percent		
	16 percent		
	15 percent		
	14 percent		
	5 percent		
	4 percent		
	1 percent		
	other rate, if any,		
	Total		
10.	Purchase Tax		
	Rate	Taxable purchase price	Purchase tax payable
	31 percent		
	27 percent		
	25 percent		
	20 percent		

	16 percent		
	15 percent		
	14 percent		
	5 percent		
	4 percent		
	1 percent		
	other rate of tax		
	Total		
11.	Reversal of Input tax rebate		
	Rate	Turnover	Reversed Input tax
	31 percent		
	27 percent		
	25 percent		
	20 percent		
	16 percent		
	15 percent		
	14 percent		
	5 percent		
	4 percent		
	1 percent		
	other rate of tax		
	Total		
12.	Gross Total (9+10+11)		
13.	Calculation of input tax rebate		
	Rate	Turnover	Input tax
	31 percent		
	27 percent		
	25 percent		
	20 percent		
	16, percent		
	15 percent		

	14 percent		
	5 percent		
	4 percent		
	1 percent		
	other rate of tax		
	Total		
14.	Carry forwarded Input tax rebate amount by the Assessing Officer in the assessment case of year 2015-2016		
15.	Amount of Input tax rebate adjusted against VAT		
16.	Amount of Input tax rebate adjusted against Central Sales Tax		
17.	Amount of Input tax rebate transferred to other Registered Dealer		
18.	Amount of Input tax rebate carried over for the year 2017-2018		
19.	Remaining demand payable (12-13)		
20.	Amount of interest (if payable) according to section 18(4)(a)		
21.	Amount of penalty (if payable) according to section 18(4)(b)		
22.	Total amount of tax, interest and penalty payable (19+20+21)		
23.	Amount deposited by challan (if deposited previously)		
24.	Amount of TDS Certificates (Attach TDS Certificates)		
25.	Amount of refund adjustment order (RAO No.)		
26.	Total amount deposited (23+24+25)		
27.	Remaining additional demand (22-26)		

28.	Amount of refund, if any	
29.	Amount of refund due to brought forward Input tax rebate	
30.	Specify the reasons of difference as shown in the amounts of column 13 and column 28	
31.	Amount deposited at the time of application (Challan number and date)	

I,-----

Proprietor/Partner/Director of ----- hereby verify
that the above facts are true to the best of my knowledge and belief.

Place:

Signature -----

Date:

Name of Firm -----

FORM-E

(For dealers with annual turnover above rupees 50 crore)

Application under 1(B) the Notification no. ----- dated -----for
the assessment case of year 2016-17 under Central Sales Tax Act.

To,

The Assessing Authority, (Officer)

1.	Dealer's name and address							
2.	TIN (Taxpayers Identification No)							
3.	Detail of extra demand in last 3 assessment year(2013-14,2014-15and2015-16)	S N o	Year	Case No	Date of order	Extra tax demand	Interest and penalty demand	total demand in assessment case
			2013-14					
			2014-15					
			2015-16					
4.	Whether a notice under sub-section(5) of section 18 or sub-section (6) of section 19 was issued for any period in respct of 2016-17. If "Yes" then attach copy of notice.		Yes/No					
5.	Description and date of compliance of such notice							
6.	Gross Inter State sales							
7.	Deductions							
	a	Sale price of wholly tax free goods						
	b	Subsequent sales (attached Form C and E-1/E-2 along with list)						
	c	Other deductions (give details and evidence thereof)						
		Total deductions:						
8.	Taxable sales (6-7)							
9.	Rate wise classification of taxable sales							

	Description	Sales turnover	Rates of tax	Amount of tax
1	Sales against 'C' Form declarations (as per list)			
2	Sales without 'C' Form declaration			
3.				
4.				
10.	Total tax payable			
11.	Amount of interest (If payable) as per clause (a) of sub-section (4) of section 18 of Vat Act.			
12.	Amount of penalty (If payable) as per clause (b) of sub-section (4) of section 18 of Vat Act.			
13.	Total Tax payable, interest thereon and penalty, (10+11+12)			
14.	Amount of Input tax rebate adjusted against the Central Sales Tax from Vat Act.			
15.	Amount deposited by challan (if deposited previously)			
16.	Amount of refund adjustment (RAO no.)			
17.	Total (14+15+16)			
18.	Remaining additional demand (13-17)			
19.	Amount of refund (if any)			
20.	Amount deposited at the time of application (specify challan: number and date)			

I, ----- Proprietor/Partner/Director of
----- hereby verify that the above facts are true to
the best of my knowledge and belief.

Place:

Signature -----

Date:

Name of Firm -----

FORM-F

(For dealers with annual turnover above rupees 50 crore)

Application under 1(B) the Notification no. ----- dated -----

for the assessment case of financial year 2016-17 under Entry Tax Act.

To,

The Assessing Officer,

1.	Name and address of Dealer							
2.	(TIN) Taxpayers Identification No							
3.	Detail of extra demand in last 3 assessment year (2013-14, 2014-15 and 2015-16)	S No	Year	Case No	Date of order	Extra tax demand	Interest and penalty demand	total demand in assesment case
			2013-14					
			2014-15					
			2015-16					
4.	Whether a notice under sub-section (5) of section 18 or sub-section (6) of section 19 was issued for any period in respct of 2016-17. If "Yes" then attach copy of notice.	Yes/No						
5.	Description and date of compliance of such notice							
6.	Gross purchase amount							
7.	Deductions:-							
	(1)	Purchase price of goods exempted from entry tax under section 10.						
	(2)	Purchase price of local goods.						
	(3)	Purchase price of goods purchased from registered dealer, other than local goods.						
	(4)	Purchase price of Inter State sales of goods						
	(5)	Purchase price of sales/transfer						

		of goods outside of the State	
	(6)	Purchase price of goods in the course of export	
	(7)	Purchase price of schedule III goods for resale	
	(8)	Other deductions (Give details and evidence thereof)	
	(9)	Total deductions	
8.	Taxable purchase price (6-7)		
9.	Calculation of tax on taxable purchase		
		Rate	Taxable purchase
	1	1 Percent	
	2	2 Percent	
		3 Percent	
		10 Percent	
		12.5 Percent	
		25 Percent	
	3	other rate	
10.	Total Entry Tax payable		
11.	Interest (If payable) as per clause (a) of sub-section (4) of section 18 of Vat Act.		
12.	Amount of penalty (If payable) as per clause (b) of sub-section (4) of section 18 of the Vat Act.		
13.	Total (10+11+12)		
14.	Set off (If any)		
15.	Amount of refund adjustment (RAO no.)		
16.	Total (14+15)		
17.	Remaining demand (13-16)		

18.	Amount deposited by challan (if deposited previously)	
19.	Remaining additional demand (17-18)	
20.	Refund amount, if any	
21.	Amount deposited at the time of application (specify challan number and date)	

I,-----

Proprietor/Partner/Director of ----- hereby verify that the above facts are true to the best of my knowledge and belief.

Place:

Signature -----

Date:

Name of Firm -----

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ARUN PARMAR, Dy. Secy.